न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– **53 / 2017 ई0रे0** **दिनांकः 01.08.2022**

विरेन्द्र कुमार पिता लच्छीराम सालवी निवासी केवलपुरा तहसील बडीसादडी

– वादी

।।**बनाम** ।।

1– लच्छीराम पिता देवा सालवी नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
2– सुखलाल पिता देवा सालवी नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
3– शंकर पिता देवा सालवी नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
4– मांगीलाल पिता देवा सालवी नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
5– श्यामलाल पिता देवा सालवी नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
6– ऐजाबाई बेवा देवा बलाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
7– नारायण पिता कालु बलाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
8– किशलाल पिता कालु बलाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
9– राधीबाई बेवा कालु बलाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
10– शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खरदेवला
11– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा कचुमरा तहसील बडीसादडी की खतोनी संख्या 47 की आराजी नं. 357, 358, 395, 410, 411, 412, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 802, 803, 804, 805, 812 कुल किता 17 रकबा 9. 2100 हैक्ट. स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार देवा पिता उंकार तथा नारायणलाल, किशलाल पिता कालु व राधीबाई बेवा कालु के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है लेकिन खातेदार देवा की दिनांक 14.04.2017 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक देवा के वारीसान प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 है। वादग्रस्त आराजी मृतक देवा पिता उंकार को उत्तराधिकार से अपने पिता उंकार की मृत्यु पर प्राप्त हुई थी। चूंकि देवा की मृत्यु हो चुकी है इसलिये देवा के हिस्से व खाते की आराजी उत्तराधिकार से अब प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 को प्राप्त नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होगी ।

चह कि वादी प्रतिवादी लच्छीराम का लेजीटीमेंट पुत्र है। वादी, प्रतिवादी लच्छीराम लेजीटीमेंट पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी लच्छीराम के हिस्से में जन्म से ही उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपना हक व हिस्सा स्थापित कर चुका है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है। वादी, प्रतिवादी लच्छीराम की वैधानिक रूप से विवाहीता पत्नी श्रीमती देउबाई की कोख से उत्पन्न हुआ है। इसलिये वादी प्रतिवादी लच्छीराम के हक व हिस्से की आराजी में नियमानुसार अपने हक व हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज किया गया । प्रतिवादी नं. 1, 3, 8 की ओर से अधिवक्ता पी.सी. मोगरा ने पावर पेश किया । प्रतिवादी नं. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये गये । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 4.07.2019 को प्रतिवादी नं. 1, 3, 8 के अधिवक्ता पी.सी. मोगरा अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय आदेश पारित किये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:48:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित होने से तनकीयात कायम नहीं की गई । शहादत वादी में वादी विरेन्द्र कुमार का शपथ पत्र पी.डब्लू 1 प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में मृतक देवा के हिस्से व खाते की आराजी की घोषणा देवा के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 के नाम पर करवाते हुए प्रतिवादी लच्छीराम के हिस्से में वादी के हक व हिस्से की घोषणा करायी जावे। वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। वकील वादी द्वारा जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता सं. 47 की नकल पेश की गई इसके अलावा कोई राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदीया की प्रतियां पेश नहीं की गई जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक है। केवल वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी पैतृक है। साथ ही वादी ने अपने पक्ष मे कोई गवाह भी पेश नहीं किये जिससे यह भी साबित हो सके कि वादी लच्छीराम का लेजीटीमेंट पुत्र है। मात्र स्वयं के शपथ पत्र व आधार, भामाशाह कार्ड व स्कूली दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी देवा की सम्पति में किस प्रकार से हक अधिकार रखता है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2069–2071 में न ही लच्छीराम का नाम दर्ज है न ही देउ बाई का जो कि वादी के दस्तावेजों में वादी के माता पिता वादी के वाद अनुसार वादी द्वारा बताये गये है। अतः वादी के पक्ष में पर्याप्त गवाह, सबूत व तथ्य न होने के वजह से यह वाद सिरे से ही स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत होता है। इसलिये वादी अपना वाद पत्र साबित करने में असफल रहा है। इसलिये वादी का वाद खारिज किया जाता है।

इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से बनाया जावे।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 01.08.2022 को सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:48:14 IST
Reason: SelfAttested